To provide Employment

***819 SHRI CHIRANJEEV RAO, M.L.A :** "Will the Deputy Chief Minister be pleased to state :-

a) whether there is any policy under consideration of the Government to provide employment to unemployed youth in every family without employment in State; and

b) If so, the details thereof"?

Sh. Dushyant Singh Chautala, Deputy Chief Minister

Sir,

a) Yes Sir,

b) A Statement in this regard is laid on the table of the house.

रोजगार प्रदान करने के लिए

***819 श्री चिरंजीव राव, एम0एल0ए0 :** "क्या उप–मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेगें :–

a) क्या राज्य में रोजगार के बिना हर परिवार में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई नीति है ; तथा

b) यदि हाँ, इससे सम्बन्धित ब्यौरा क्या है"?

श्री दुष्यंत सिंह चौटाला, उप–मुख्यमंत्री

श्रीमान जी,

क) हाँ श्रीमान जी

ख) इस बारे कथन सभा के पटल पर रख दिया गया है।

Question No.-*819

Statement of Sh. Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister in response to Starred Question No.-*819

- Department of Employment is running a scheme named One Family One Job Scheme (OFOJ) for the benefit of such families whose member is unemployed. Registered candidates under One Family One Job (OFOJ) Scheme are sponsored for interview against the vacancies available in Employment Exchange in the ratio of 50:50 i.e. 50% from General Live Register and 50% from OFOJ Live Register on seniority Basis as per limit. This scheme allows eligible poor applicants to get a chance of prioritized submission against notified vacancies.

  Eligibility Criteria for registration under One Family One Job Scheme :

  1. He/she should be between the age-limit of 18 to 35 years. (Relaxable for SC or BC applicants upto 5 years)
  2. He/she should be a resident of Haryana State.
  3. No member of his/her family should be in any kind of employment in public or private Sector.
  4. No member of the family should be an income tax or sales tax payee.
  5. No member of such family should be an EX. Or Current MP/MLA or a Chairman of any Board/Corporation/Undertaking etc.

- The Government of Haryana vide THE HARYANA GROUP-D EMPLOYEES (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 2018 and its subsequent amendments and Haryana Government Notification dated 11 June, 2019, has taken special measures by making provision for additional 10 marks on socio-economic criteria and experience in the selections of Haryana Staff Selection Commission (HSSC) Group-D, Group-C and Group-B (Teacher, Education Supervisor, Teacher Educator in School Education Department) posts in order to provide employment in every family without employment in State. In case of Group-D selections, the provision of additional 10 marks on socio-economic criteria applies to persons appointed on any Group-D post on or after the 28th March, 2018.

The 10 marks for socio-economic criteria and experience are allocated as follows :

a. if neither the applicant nor any person from among the applicant's family viz father, mother, spouse, brother, and Son is, was or has been a regular employee in any Department/Board/Corporation/Company/Statutory Body/ Commission/Authority of Government of Haryana or any other State Government or Government of India.

b. **if the applicant is :**

   (i) a widow; or

   (ii) the first or the second child and his father had died before attaining the age of 42 years: or

   (iii) the first or the second child and his father had died before the applicant had attained the age of 15 years,".

c. If the applicant belongs to such a denotified tribe (Vimukt Jatis and Tapriwas Jatis) or Nomadic tribe of the State of Haryana which is neither a Scheduled Caste nor a Backward Class.

d. **Experience :** One-half (=0.5) mark for each year or part thereof exceeding six month of experience, out of a maximum of sixteen years, on the same or a higher post in any Department/Board/Corporation/Company/Statutory Body/Commission/ Authority of Government of Haryana. No marks shall be awarded for any period less than six months.

प्रश्न न0.–*819

कथन–श्री दुष्यंत चौटाला, उप–मुख्यमंत्री
तारांकित प्रश्न नं0–*819 के उत्तर में

- रोजगार विभाग, हरियाणा 'एक परिवार एक रोजगार (ओ0एफ0ओ0जे0)' योजना संचालित कर रहा है जो कि ऐसे परिवारों के लाभ के लिए है जिनके परिवार के सदस्य बेरोजगार हैं। एक परिवार एक रोजगार (ओ0एफ0ओ0जे0) योजना के अन्तर्गत पंजीकृत प्रार्थियों का सम्प्रेषण रोजगार कार्यालय में अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध 50:50 के अनुपात में नियोजकों को किया जाता है। अर्थात् 50 प्रतिशत सामान्य सजीव पंजीकरण से तथा 50 प्रतिशत ओ0एफ0ओ0जे0 योजना के सजीव पंजीकरण से प्रवर्ता के आधार पर। मुख्यतः इस योजना के अन्तर्गत पात्र गरीब बेरोजगारों का अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर नियोजकों को सम्प्रेषण किया जाता है।

  एक परिवार एक रोजगार योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड :

  1. प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए (अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है)।
  2. वह हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
  3. प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं होना चाहिए।
  4. परिवार का कोई भी सदस्य आयकर या बिक्री करदाता नहीं होना चाहिए।
  5. ऐसे परिवार का कोई भी सदस्य भूतपूर्व या वर्तमान सांसद/विधायक या किसी बोर्ड/निगम/उपक्रम के अध्यक्ष आदि नहीं होना चाहिए।

- हरियाणा सरकार ने ग्रुप–डी कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018, अनुवर्ती संशोधनों तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 11 जून, 2019 के अन्तर्गत सामाजिक–आर्थिक मानदंडों एवं अनुभव के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एच.एस.एस.सी.) द्वारा की जाने वाली ग्रुप–डी, ग्रुप–सी और ग्रुप–बी (शिक्षक, शिक्षा पर्यवेक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग में टीचर एजुकेटर) भर्ती हेतु अतिरिक्त 10 अंकों के लिए प्रावधान करके हरियाणा राज्य में रोजगार रहित हर परिवार को रोजगार युक्त करने हेतु विशेष उपाय किए हैं। तदनुसार ग्रुप–डी कर्मचारी चयन के मामले में, सामाजिक–आर्थिक मानदंड अनुसार अतिरिक्त 10 अंक का प्रावधान दिनांक 28 मार्च, 2018 को या उसके बाद किसी ग्रुप–डी पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

  सामाजिक–आर्थिक मानदंड तथा अनुभव के लिए निर्धारित अतिरिक्त 10 अंक निम्नानुसार आबंटित किए जाते हैं :

  (क) यदि न तो आवेदक और न ही आवेदक का परिवार अर्थात् पिता, माता, पति–पत्नी, भाइयों और बेटों में से कोई भी व्यक्ति, हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत

सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम, कंपनी/वैधानिक निकाय/आयोग/प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है, था या रहा है,

(ख) **यदि आवेदक :**

(i) विधवा है, या;

(ii) प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु बयालीस वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो;

(iii) प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक के पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई है।

(ग) यदि आवेदक ऐसी अन्अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति और टापरीवास जाति) या हरियाणा राज्य की घुमंतू जनजाति से संबंधित हैं, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग हैं।

(घ) **अनुभव** : हरियाणा सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम, कंपनी/वैधानिक निकाय/आयोग/प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकतम सोलह वर्षों के अनुभव के प्रत्येक वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए आधा (= 0.5) अंक। छह मास से कम किसी अवधि के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा।